



## वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

### 1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा।

आपकी कंपनी ने लगातार एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक की भूमिका निभाई है और नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रथाओं के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। सीएसआर गतिविधियों के संबंध में एक आधिकारिक जनादेश के अभाव में भी, आपकी कंपनी ने बहुत पहले सितंबर 2006 में एक नीतिगत पहल के रूप में सीएसआर को अपनाया, जो 2007-08 से प्रभावी था, और सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए पिछले वर्ष के प्रतिधारण लाभ का 1% आवंटित किया। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत प्रदान करने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और समुदाय से संबंधित गतिविधियों पर विशेष बल दिया गया।

कंपनी की वर्तमान सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम की धारा 135 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सीएसआर नियमों के अनुरूप है और कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएसआर परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कंपनी की सीएसआर नीति इसकी वेबसाइट पर होस्ट की गई है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान घाटा उठाया। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना की गई सीएसआर बजट यानी पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% नकारात्मक था। इसलिए, वर्ष 2021-22 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई वार्षिक सीएसआर बजट नहीं था। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोई नई सीएसआर परियोजना शुरू नहीं की गई। हालांकि, आपकी कंपनी ने केवल वित्त वर्ष 2019-20 की चल रही सीएसआर परियोजनाओं को निष्पादित किया, जिन्हें वित्त वर्ष 2021-22 तक आगे बढ़ाया गया।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा -21 (बी) के संदर्भ में, अव्ययित सीएसआर निधियों के लिए एक विशेष सीएसआर बैंक खाता खोला गया था और 31.03.2021 को खाते में 10.01 लाख रु. ट्रांसफर किए गए। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इस खाते से धन का उपयोग इस प्रकार है:

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय:

आरंभिक शेष (01.04.2021 का)	10.01 लाख रु.
(i) कौशल विकास कार्यक्रम (वित्त वर्ष 2019-20 की सीएसआर परियोजना) के लिए श्री दीप चंद एजुकेशनल सोसाइटी को अंतिम किस्त का भुगतान।	1.50 लाख रु.
(ii) स्लम बच्चों की शिक्षा के लिए सीकेएस फाउंडेशन को अंतिम किस्त का भुगतान (वित्तीय वर्ष 2019-20 की सीएसआर परियोजना)।	3.24 लाख रु.
अंतिम शेष (31.03.2022 को)	5.27 लाख रु.

### 2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक / निदेशक पद की प्रकृति	साल के दौरान आयोजित सीएसआर कमेटी की बैठकों की संख्या	सीएसआर की बैठकों की संख्या के दौरान समिति ने भाग लिया वर्ष
1.	श्री शशांक प्रिय	सरकारी नामांकित समिति के अध्यक्ष	1	1
2.	प्रदीप कुमार वर्मा	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक/समिति के सदस्य	1	1
3.	श्री राजीव रंजन सिन्हा	निदेशक (कार्मिक)/ समिति के सदस्य	1	1
4.	श्री कपिल कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त)/ समिति के सदस्य	1	1

3. वेब-लिक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया जाता है।

Web-link: <https://www.mmtclimited.com/pages/display/89-corporate-social-responsibility>

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

लागू नहीं।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण तथा वित्तीय वर्ष के लिए समंजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण।

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेटऑफ करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
1	2021-22	शून्य	शून्य

धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ। (416.32) करोड़ रु.।

7. (ए) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: लागू नहीं  
(बी) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला अधिशेष  
पिछले वित्तीय वर्ष: शून्य  
(सी) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य  
(डी) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7ए+7बी-7सी): शून्य।
8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि:

कुल राशि के लिए खर्च किया वित्तीय वर्ष (रुपये में)	खर्च न की गई राशि रु. में				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि।		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची टप्प के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि।		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

- (बी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के खिलाफ खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:  
लागू नहीं
- (सी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य मद में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:  
लागू नहीं
- (डी) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि: शून्य
- (ई) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं
- (एफ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई): शून्य
- (जी) सेट ऑफ करने के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु.)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	लागू नहीं
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)],	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	सफल वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)],	शून्य

9. (ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्रम सं.	पिछला वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि(रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची टप्प के तहत निर्दिष्ट किसी फंड में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो			अनुगामी वित्तीय वर्षों होने में खर्च होने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	ट्रांसफर की तिथि	
1.	2019-20	10,01,200	4,74,000	-	-	-	5,27,200



(बी) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्रम सं.	प्रोजेक्ट	प्रोजेक्ट का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू हुई थी	परियोजना अवधि	कुल रकम के लिए आवंटित परियोजना (लाख रुपये)	राशि में परियोजना पर खर्च किया रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष (लाख रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (लाख रुपये में)	पूरे /चल रहे परियोजना की स्थिति
1.		(I) परिधान और पोशाक निर्माण (काटना और सिलाई) और (ii) ब्यूटीशियन (सौंदर्य और कल्याण) के क्षेत्र में वंचित सामाजिक समूहों (महिलाएं, दलित और वंचित बच्चों) के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण लेना।	2019-20	1 वर्ष 6 माह	5.00	1.50	5.00	पूर्ण
2.		वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक गतिविधियों के लिए	2019-20	1 वर्ष 6 माह	5.32	3.24	5.32	पूर्ण
	<b>कुल</b>				<b>10.32</b>	<b>4.74</b>	<b>10.32</b>	

10. पूंजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण)। शून्य  
(ए) पूंजीगत संपत्ति (एस) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। लागू नहीं  
(बी) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि। लागू नहीं  
(सी) संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि। लागू नहीं  
(डी) सृजित या अधिग्रहीत की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)। लागू नहीं
11. कारण बताएं, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है।  
लागू नहीं।

ह0/-

ह0/-

निदेशक (कार्मिक)

(अध्यक्ष सीएसआर समिति)